



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[24]

भूमिधरी का कब्जा प्राप्त कर लिया है। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ, यह विक्रय पूर्णतया उचित, वैधानिक एवं सर्वमान्य है और प्रयोग होने योग्य है। द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी उपरोक्त भूमि भूमिधरी को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लाने तथा उसमें काश्त करने के लिये पूर्णतया अधिकारी रहेंगी। द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी अपना नाम कागजात



उत्तर प्रदेश

